



92

21/1/05

न्यायालय राजस्व घण्डल म०प्र० गवा-लियर

प्र०क्र० /2005 निगरानी

R 31 - II / 2005

रतनलाल लाल बुचची लोधी
निवासी - ग्राम सनवारी
तह० पठड जिला पन्ना म०प्र०

--- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन

---अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव को प्रस्तुत।
7/1/05
अवर सचिव
राजस्व घण्डल म० प्र० गवा-लियर

2
1-7 JAN 2005

निगरानी प्रारम्भ पत्र अन्वयित द्वारा 50 म०प्र० में राज्य संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 13.04.2004 पारित आयुक्त सागर तमंगसागर के
न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 78 अ 19 x 2003-04 के।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, विद्वान अधीक्षक न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
- 2- यह कि, विद्वान अधीक्षक न्यायालय ने आवेदक को विधि विना सूचना दिये व समुचित अंतर सुनवाई का दिये आदेशित आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।
- 3- यह कि, आवेदक का कहना व दखल 02.10.1984 से पूर्व अपनी बुजुर्गता के जमाने से रहा था। ग्राम पंचायत व पतवारी से विधि प्रतिकूल लेने के बाद प्राप्त प्रक्रियाओं का पालन करने लिये आवेदक के हक में आदेश दिनांक 19.07.2002 पारित किया। इस महत्वपूर्ण विन्दु पर विना विचार व सुप्रेरणा में लेकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।
- 4- यह कि, अन्य तर्क मौखिक रूप से स्काह देखकर निवेदन किये जातेगे। अतएव प्रारम्भ है कि विद्वान आयुक्त एवं अफिस के कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जावे। आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

Shrivast
7/1/2005

प्रार्थी,

प्रदीप श्रीवास्तव, एडवोकेट
91-25, हरिकानपुरी, खंडवासे मंदिर के पास,
वडोदरा-374032. फोन 0751-425002

रतनलाल लाल बुचची
31/1/05

R/1/05

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 31-दो/2005


जिला - पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 78/अ-19/(4)/03-04 में पारित आदेश दिनांक 13-4-04 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि का व्यवस्थापन किया गया था । इस व्यवस्थापन आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिक मानते हुए निरस्त किया गया । इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में यह निगरानी पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।</p> <p>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है । विचारण न्यायालय ने प्रक्रियाओं का पालन करते हुए व्यवस्थापन आदेश आवेदक के पक्ष में दिया गया था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैध बनाते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि व्यवस्थापन का</p>	

1/19



R-31- 18/05 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>है । विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक को प्रदाय की गई भूमि गोठान, छोटा घास, रास्ता जंगल आदि शासकीय अभिलेखों में दर्ज है जिसका प्रदाय अधिनियम, 1984 के तहत नहीं किया जा सकता है । परंतु तहसील न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन किया गया है अतः इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में किये गये व्यवस्थापन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों ।</p>	<p> सदस्य</p>

R
1/14